रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273689
CG-DL-E-22062026-273689

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948
No. 435] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

सा.का.नि. 486(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भूभौतिकी संवर्ग, समूह 'ख' और 'ग' भर्ती नियम, 2013 को, जहां तक वे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय में सहायक भूभौतिकीविद के पद से संबंधित हैं, उन चीजों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए या किए जाने से रह गए हों, को अधिक्रांत करते हुए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय में सहायक भूभौतिकीविद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम संक्षिप्त खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सहायक भूभौतिकीविद भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूचित

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन/ अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक भूभौतिकीविद	110* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (₹47,600 – ₹1,51,100).	चयन पद	अधिकतम आयु-सीमा 32 वर्ष। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) __टिप्पण__: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	__आवश्यक अर्हता:__ किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से भूभौतिकी या गवेषण भूभौतिकी या अनुप्रयुक्त भूभौतिकी या भू-गवेषण या समुद्री भूभौतिकी या भौतिकी या अनुप्रयुक्त भौतिकी या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान में विज्ञान परास्नातक या विज्ञान परास्नातक (तकनीकी) या एकीकृत विज्ञान परास्नातक। **टिप्पण:** संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, लेखबद्ध कारणों के आधार पर, अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, अर्हताएं शिथिल की जा सकेंगी।

क्या सीधी भर्तियों के लिए विहित आयुसीमा - और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**	**प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना है**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियां में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा की सफल समाप्ति के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित कम से कम दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण।	(i)संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा पचहत्तर प्रतिशत। (ii) प्रोन्नति की दशा में पच्चीस प्रतिशत जिसके ना हो सकने की दशा में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (₹44,900–1,42,400) में विभागीय वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी), जिन्होंने उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित क्षेत्रीय अन्वेषण, प्रयोगशाला संबंधी कार्यों तथा मानचित्र प्रसंस्करण से संबंधित दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता-प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या वैधानिक संगठनों के वे अधिकारी जो: (क) (i) मूल संवर्ग या	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक (भूभौतिकी), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण — **अध्यक्ष** 2. अधीक्षण भूवैज्ञानिक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण — **सदस्य** 3. उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण — **सदस्य** समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1. निदेशक (भूभौतिकी), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण — **अध्यक्ष** 2. अधीक्षण भूवैज्ञानिक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण — **सदस्य**	सीधी भर्ती करने की दशा में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

			विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (₹44,900–1,42,400) अथवा सदृश स्तर के पद पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की नियमित सेवा की हो; (ख) सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएं रखते हों। (ग) क्षेत्रीय अन्वेषण, प्रयोगशाला संबंधी कार्यों तथा मानचित्र प्रसंस्करण में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1.- पोषक वर्ग के वे विभागीय अधिकारी जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति या आमेलन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3.- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के प्रयोजन के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त- करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	3. उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण — **सदस्य**	

[फा. सं. 4/1/2023-खान.II (भाग-I)]

गीतिका शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2026

G.S.R. 486(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Mines, Geological Survey of India, Geophysics Stream, Group 'B' and Group 'C' Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the post of Assistant Geophysicist in the Geological Survey of India, Ministry of Mines, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Assistant Geophysicist in the Geological Survey of India, Ministry of Mines namely:-

1. **Short title and commencement . –** (1) These rules may be called the Ministry of Mines, Geological Survey of India, Assistant Geophysicist Recruitment Rules, 2026. =

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.-** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. .-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .-** No Person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limits for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Geophysicist.	110* (2026) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group-B Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix.	Selection post	Not exceeding thirty-two years of age. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.	**Essential Qualification:** Master of Science or Master of Science (Tech) or Integrated Master of Science in Geophysics or Exploration Geophysics or Applied Geophysics or Geo-Exploration or Marine Geophysics or Physics or Applied Physics or Applied Geology from a recognised University or Institute. Note .- The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits. **Note:** There shall be a mandatory Induction Training of at least two weeks duration conducted by Geological Survey of India Training Institute for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.	(i) Seventy five per cent by direct recruitment through Combined Geo-Scientist Examination conducted by the Union Public Service Commission. (ii) Twenty five per cent by promotion failing which by deputation (including short term contract).	**<u>Promotion</u>**: The departmental Senior Technical Assistant (Geophysics) in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with two years regular service in the grade and having successfully completed two weeks' training programme conducted by Geological Survey of India Training Institute in field investigation, laboratory related works and map processing. Note.- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract)** : Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions or autonomous bodies or statutory organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department or organisation; (ii) with two years' regular service rendered after appointment to the post in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Director (Geophysics), Geological Survey of India - **Chairperson** 2. Superintending Geologist, Geological Survey of India – **Member**; 3. Deputy Director (Personnel and Administration), Geological Survey of India – **Member**. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director (Geophysics), Geological Survey of India - **Chairperson** 2. Superintending Geologist, Geological Survey of India – **Member**; 3. Deputy Director (Personnel and Administration), Geological Survey of India – **Member**.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

			cadre or department; (b) possessing the educational qualifications as prescribed for direct recruits under column (7); and (c) having two years' experience in field investigation, laboratory related works and map processing. **Note 1.-** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications		

[F. No. 4/1/2023-Mines.II (Part-I)]

GEETIKA SHARMA, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.06.22
12:42:37 +05'30'